5

अध्याय

5

अध्याय

ग्रामीण स्वच्छता

5.1 परिचय

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंर्तगत, गंगा नदी के मुख्य स्टेम के साथ स्थित चिन्हित गावो तथा पंचायतों को बेहतर स्वच्छता अभिगम मुहैया कराया जाना था। इस घटक का दायित्व पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय (एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस) के जरिए एन.एम.सी.जी. द्वारा दायित्व में लिया जाना था, जैसा कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. सफाई, स्वच्छता तथा खुले में शौच को खत्म करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता व्याप्ति को गति देने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर सामान्य जीवन गुणवत्ता लाने के उद्देश्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एस.बी.एम.(जी.) के अंर्तगत इस क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहा था।

ग्रामीण स्वच्छता के घटकों को एस.बी.एम.(जी.) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। एस.बी.एम.(जी.) के कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक लामबंदी/गतिमान तथा निगरानी की अपेक्षित है। कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया गया।

चार्ट 5.1 एस.बी.एम.(जी.) का पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र

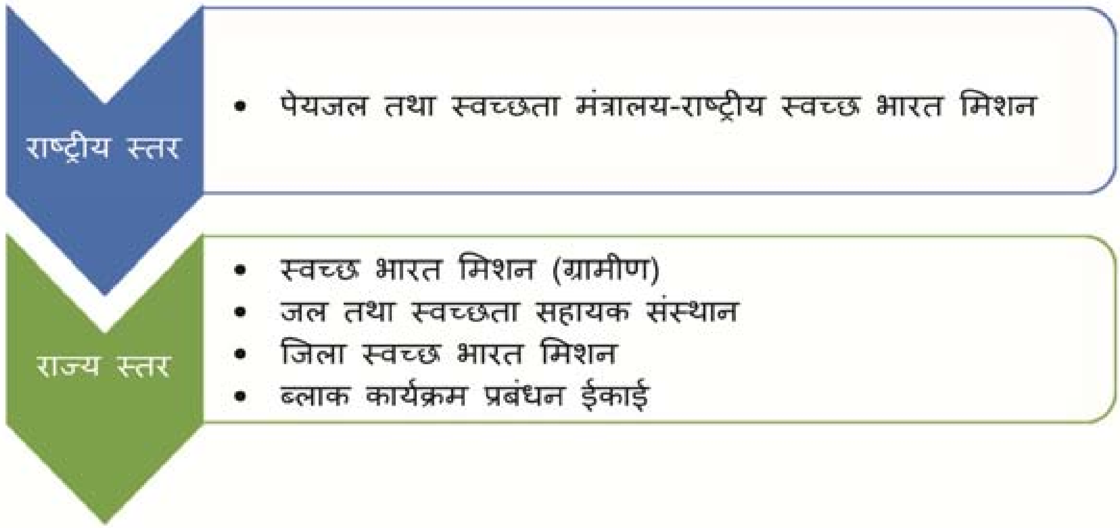

5.2 योजना तथा मूल्यांकन-चयन मानदंडो, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पर्याप्तता

एम.ओ.डब्ल्यू.आर,आर.डी.&जी.आर. ने, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को गंगा नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों को खुले मे शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध (सितम्बर 2014) किया। तद्नुसार, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने फरवरी 2015 में प्रशासनिक शुल्क को शामिल करते हुए ₹ 2,354.46 करोड़ की कुल वित्तीय आवश्यकता के साथ तीन गतिविधियों हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की-(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.), (ii) ठोस तरल कचरा प्रबंधन (iii) सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण (आई.ई.सी.) इसमें से, गंगा नदी के समीप 1,657 ग्राम पंचायतों के 253 ब्लॉक तथा 53 जिलों वाले पाँच तटवर्ती राज्यों[39] के लिए केन्द्र का हिस्सा ₹ 1,753.23 करोड़ (केन्द्र तथा राज्य के बीच निधिकरण पैटर्न 75.25) था, जैसा कि तालिका 5.1 में व्याख्या की गई है।

तालिका 5.1 घटकवार कुल निधि आवश्यकताएँ

(₹ लाख में)

राज्य का नाम	आई.एच.एच.एल.	एस.एल.डब्ल्यू.एम..	आई.ई.सी.	प्रशासनिक शुल्क	कुल
बिहार	70,133.88	6,180.00	6,783.46	1,695.86	84,793.20
झारखण्ड	2,679.24	660.00	296.82	74.21	3,710.27
उत्तर प्रदेश	52,222.08	16,793.04	6,134.68	1,533.67	76,683.47
उत्तराखण्ड	1,198.44	1,376.00	228.84	57.21	2,860.49
पश्चिमी बंगाल	56,179.08	4,480.00	5,391.92	1,347.98	67,398.98
कुल	**1,82,412.72**	**29,489.04**	**18,835.72**	**4,708.93**	**2,35,446.41**

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस का प्रस्ताव एम.ओ.डब्ल्यू.आर,आर.डी.&जी.आर. द्वारा अनुमोदित (जून 2015) किया गया। तथापि, 60:40 के अनुपात में निधिकरण पैटर्न के संशोधन (जनवरी 2016) के परिणामस्वरूप, केन्द्र के हिस्से को घटाकर ₹ 1,412.68 करोड़ कर दिया गया।

प्रारम्भ में, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने मार्च 2016 (बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल) जून 2016 (उत्तर प्रदेश) तथा नवम्बर 2015 (उत्तराखण्ड) तक 100 प्रतिशत घरों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराने की लक्ष्य तिथि निश्चित (मई 2015) की। लक्ष्य तिथि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 2016) हालाँकि, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कार्य की धीमी प्रगति के कारण इसे फिर से मार्च 2017 में अप्रैल 2017 तक बढ़ा दिया गया।

---

[39] उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को केन्द्र का हिस्सा जारी कर चुका था, जिसे राज्य कार्यकारी एजेंसियों को जारी किया गया। इसने आगे बताया किया कि लक्ष्य तथा उद्देश्य एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा तय किए गए, क्योंकि एन.एम.सी.जी. की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी तथा गंगा नदी के किनारे पर चिन्हित सभी गाँवो को अब ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया था।

सभी चिन्हित गाँवो को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के मुद्दे पर एन.एम.सी.जी. के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने इसकी स्वंय की टीम या तृतीय पक्ष के द्वारा खुले में शौच मुक्त स्थिति के सत्यापन से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ओ.डी.एफ. के गलत प्रस्थापन पर लेखापरीक्षा जाँच परिणाम की चर्चा अनुच्छेद 5.4.2 तथा 5.4.3 में की गई है।

5.3 जारी निधि तथा उपयोग

एस.बी.एम.(जी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार, एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के द्वारा राज्य सरकारों को निधि जारी की जानी थी। इसके बदले में राज्य सरकार, भारत सरकार की ओर से निधि अंतरण के 15 दिन के अंदर एस.बी.एम.(जी.) को निधि जारी करता है।

एन.एम.सी.जी./एम.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी.&जी.आर. ने जून 2015 तथा सितम्बर 2016 में एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को आई.एच.एच.एल., आई.ई.सी. तथा एस.एल.डब्ल्यू.एम. के निर्माण से संबंधित गतिविधियों हेतु क्रमश: ₹ 263 करोड़ तथा ₹ 315 करोड़ की एकमुश्त राशि जारी की।

हमने पाया कि यद्यपि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. पाँच राज्यों को ₹ 578 करोड़ की राशि की निधि जारी कर चुका था, परन्तु एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ राज्य के हिस्से की राशि उपलब्ध नहीं थी। केन्द्र तथा राज्यों का अंश जैसा कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्राप्त हुआ था, का विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: 2015-17 के दौरान प्राप्त निधि तथा उपयोग का राज्यवार/वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	राज्य		कुल				
			अधशेष	आबंटन	विविध पावतियाँ	उपयोग	अन्तशेष
1	बिहार	केन्द्र हिस्सा	0	79.02	0	45.96	61.22
		राज्य हिस्सा		28.16			
	कुल		**0**	**107.18**	**0**	**45.96**	**61.22**

क्र.	राज्य		कुल				
			अधशेष	आबंटन	विविध पावतियाँ	उपयोग	अन्तशेष
2	झारखण्ड	केन्द्र हिस्सा	-3.63	27.83	0.44	30.36	3.56
		राज्य हिस्सा		9.28			
		कुल	**-3.63**	**37.11**	**0.44**	**30.36**	**3.5.6**
3	उत्तराखण्ड	केन्द्र हिस्सा	0	22.56	0.71	6.96	16.31
		राज्य हिस्सा		0			
		कुल	**0**	**22.56**	**0.71**	**6.96**	**16.31**
4	उत्तर प्रदेश	केन्द्र हिस्सा	0	370.76	0.60	257.09	335.52
		राज्य हिस्सा		221.25			
		कुल	**0**	**592.01**	**0.60**	**257.09**	**335.52**
5	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र हिस्सा	0	77.38	60.78	146.15	44.35
		राज्य हिस्सा		51.89			
		कुल	**0**	**129.72**	**60.78**	**146.15**	**44.35**
6	कुल	केन्द्र हिस्सा	-3.63	578.00	62.53	486.52	460.96
		राज्य हिस्सा		310.58			
	कुल योग		**-3.63[40]**	**888.58**	**62.53**	**486.52**	**460.96**

स्रोत: एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आँकडे

तालिका 5.2 से यह स्पष्ट है कि ये पाँच राज्य कुल उपल्बध निधि ₹ 951.11 करोड़[41] की तुलना में ₹ 490.15 करोड़[42] की राशि प्रयोग कर सके अर्थात कुल उपलब्ध निधि का 52 प्रतिशत।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि यह एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को प्राधिकृत पत्र जारी कर चुका था तथा राज्य के हिस्से के साथ संबद्ध नहीं था। आगे, एन.एम.सी.जी. ने एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष अव्यय शेष को शामिल किया, जो योजना की वास्तविक भौतिक प्रगति के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि बहुत से गाँवो को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है। इसने आगे कहा (अगस्त 2017) कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.एस. के जारी निधि का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। एन.एम.सी.जी. का उत्तर इस परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ओ.डी.एफ.

40 आई.एच.एच.एल.पर मार्च 2015 से पूर्व किया गया व्यय

41 ₹ 888.58 करोड़ प्लस ₹ 62.53 करोड़

42 ₹ 3.63 करोड़ प्लस ₹ 486.52 करोड़

घोषित किए गए गावों में से 33[43] प्रतिशत ओ.डी.एफ. घोषित गावों की स्थिति मार्च 2017 तक सत्यापित नहीं हुई थी। आगे जैसा कि पैरा 5.4.2 तथा 5.4.4 में चर्चा की गई है। गावों के ओ.डी.एफ. घोषित करने एवं आई.एच.एच.एल के निर्माण में भी विभिन्नताएँ थी।

हमने आगे देखा

- उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को इसके हिस्से का ₹ 2.78 करोड़ जारी नहीं किया। (31 मार्च 2017) दो राज्यों[44] ने इसकी जिला कार्यान्वयन समितियों को अपने प्रतिबद्ध हिस्सों के समक्ष ₹ 50.44 करोड़ की कम राशि जारी की।

- मार्च 2017 तक, उत्तराखण्ड, उपलब्ध केन्द्रीय हिस्से का केवल 30 प्रतिशत प्रयोग कर सका। मार्च 2017 तक, दो राज्य[45] उनके पास उपलब्ध निधि का 50 प्रतिशत भी प्रयोग नही कर सके।

- उत्तर प्रदेश के 11 जाँचित जिलों[46] में से चार[47] के दस्तावेजों/अभिलेखों की संवीक्षा करने पर यह उजागर हुआ कि अप्रैल 2017 में, इन चार जिलों के 37 जी.पी.एस.[48], जो पहले गंगा बेसिन जी.पी. के रूप मे चिन्हित किए गए थे, को राज्य सरकार द्वारा गंगा बेसिन की सूची से अपरिलक्षित/हटा दिया गया।

हालाँकि, गंगा नदी बेसिन जी.पी. की सूची से इन्हे हटाने से पूर्व नमामि गंगे के अंर्तगत प्राप्त अनुदान से इन 37 जी.पी. में 19,246 आई.एच.एच.एल. के निर्माण पर पहले ही ₹ 17.76 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। जैसा कि गैर-गंगा बेसिन जी.पी. पर ₹ 17.76 करोड़ खर्च किए गए, इसीलिए इस व्यय की प्रतिपूर्ति एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. से की जानी थी।

एन.एम.सी.जी. ने इसके प्रत्युत्तर में (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया। हालाँकि, यह कहा गया कि यह राज्य के हिस्से तथा राज्य ई.ए. द्वारा इसके

---

43 {(3656-45)-2406}/(3656-47)x100=33 प्रतिशत

44 उत्तर प्रदेश तथा बिहार

45 उत्तर प्रदेश तथा बिहार

46 फरूखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणासी, भदोही, इलाहाबाद, कासगंज, गाजीपुर, उन्नउ तथा नीरूत

47 इलाहाबाद, मीरूत, कासगंज तथा गाजीपुर

48 उस्तापुर, महोदाबाद, चिबैया उपारहार, पालिकरनपुर, मुरारपटी, कटवारोपुर, कैथवस, कोटाबा, मैनाया, उपारहर, बावुरा, मुनगैरी, कुन्हैदा, खानपुर गढ़ी, मकदूमपुर बाजपुर, नारदौली, फुटका, असदगढ़, इस्लामपुर, पाचिलाना, हेतुमपुर, ताजपुर मंजा, राधोपुर, चितवानपत्री, मंझारिया, रामपुर पत्री, देवा बैरन, खिजीपुर, सईबारफुर कालान, चकमेदानी क्र.2, लीलापुर, बडसारा, सीतापट्टी, सोनहारिया, मैनपुर, पारमेथ, माहीपुर,मानिकपुर तथा कारानंदा

प्रयोग से संबद्ध नहीं था। व्यय की अप्रतिपूर्ति पर एन.एम.सी.जी. का उत्तर कि नमामि गंगे की निधि गैर-गंगा बेसिन जी.पी. हेतु प्रयोग की गई, स्वीकार्य नहीं है।

5.4 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. (दिसम्बर 2016) ने 31 मार्च 2017 तक सभी गंगा गावों में ओ.डी.एफ. प्राप्त करने के लक्ष्य को संशोधित किया। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में धीमी प्रगति की वजह से लक्ष्य तिथि को, मंत्रिमंडल सचिव के साथ समीक्षा बैठक (24 मार्च 2017) में अप्रैल 2017 तक बढ़ा दिया गया।

हमने पाया कि अप्रैल 2017 की लक्ष्य तिथि बीत चुकी थी, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक चयनित जिले में आई.आई.एच.एल. के निर्माण तथा आई.ई.सी. गतिविधि की पूर्णता व ठोस तरल कचरा प्रबंधन के कार्य के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि तालिका 5.3 में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.3 निर्मित आई.एच.एच.एल. की संख्या के संदर्भ मे लक्ष्य व उपल्ब्धियाँ

राज्य	31.03.2017 को प्रदान किए जाने वाले लक्षित आई.एच.एच.एल.	31.03.2017 को लक्षित आई.एच.एच.एल. के समक्ष प्रदत्त आई.एच.एच.एल.	31.03.2017 को अभी भी प्रदान किए जाने वाले आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को प्रदान किए जाने वाले लक्षित आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को लक्षित आई.एच.एच.एल के समक्ष प्रदत्त आई.एच.एच.एल.	19.05.2017 को अभी भी प्रदान किए जाने वाले आई.एच.एच.एल.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिहार	2,71,150	1,62,356	1,08,794	4,49,207	2,06,254 (45.92 प्रतिशत)	2,42,953
झारखण्ड	33,132	27,801	5,331	36,911	27,801 (75.32 प्रतिशत)	9,110
उत्तराखण्ड	9,975	9,943	32	9,641	9,641 (100 प्रतिशत)	0
उत्तर-प्रदेश	4,42,874	3,23,168	1,19,706	4,42,672	4,10,869 (92.82 प्रतिशत)	31,803
पश्चिम बंगाल	5,06,996	5,03,964	3,032	5,06,996	5,05,528 (99.71 प्रतिशत)	1,468
कुल	**12,64,127**	**10,27,232 (81.26 प्रतिशत)**	**2,36,895**	**14,45,427**	**11,60,093 (80.26 प्रतिशत)**	**2,85,334**

स्रोत: कॉलम सँ. 2 से 4 के आँकड़े राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए। कॉलम सँ. 5 से 6 के आँकड़े एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के एम.आई.एस. डेटाबेस से प्राप्त किए गए।

तालिका 5.3 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि मार्च 2017 तथा मई 2017 में आई.आई.एच.एल. हेतु तय लक्ष्यों के आँकड़ो में विविधता थी। जैसा कि, दो महीनों की अवधि में बिहार तथा झारखण्ड के आई.एच.एच.एल. के लक्ष्यों में क्रमश: 2,71,150 से 4,49,207 तथा 33,132 से 36,911 की बढ़ोतरी हुई। जबकि उत्तराखण्ड में आई.आई.एच.एल. के निर्माण हेतु लक्ष्यों में मार्च 2017 में 9,975 से मई 2017 में 9,641 की कमी हुई। हालाँकि, तथ्य यह है कि, मार्च 2017 को उत्तराखण्ड में 9,943 आई.आई.एच.एल. पहले ही निर्मित किए जा चुके थे।

राज्य वार लक्ष्य तथा ओ.डी.एफ. गाँवो हेतु उपलब्धियाँ तालिका 5.4 मे दी गई है।

तालिका 5.4:- ओ.डी.एफ. गाँवो की संख्या के संदर्भ में लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

राज्य	ओ.डी.एफ.. किए जाने के लिए लक्षित गाँव (31.03.2017 का)	31.03.2017 को लक्ष्य के समक्ष ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने वाले गाँव	31.03.2017 को अभी भी ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के लिए शेष गाँव	ओ.डी.एफ. किए जाने के लिए लक्षित गाँव (19.05.2017 का)	लक्ष्य के समक्ष ओ.डी.एफ.स्थिति प्राप्त करने वाले गाँव (19.05.2017 का)	ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के लिए शेष गाँव (19.05.2017 का)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
बिहार	485	228	257	487	342 (70.23 प्रतिशत)	145
झारखण्ड	78	47	31	73	64 (87.67 प्रतिशत)	9
उत्तराखण्ड	265	265	0	222	222 (100 प्रतिशत)	0
उत्तरप्रदेश	1,560	1,022	538	1,627	1373 (84.39 प्रतिशत)	254
पश्चिम बंगाल	2,106	2,094	12	2,106	2,095 (99.48 प्रतिशत)	11
कुल	**4,494**	**3,656 (81.35 प्रतिशत)**	**838**	**4,515**	**4,096 (90.72 प्रतिशत)**	**419**

स्रोत:- कॉलम सँ. 2 से 4 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए। कॉलम सँ. 5 से 6 एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के एम.आई.एस. डेटाबेस से प्राप्त किए गए।

तालिका 5.3 तथा 5.4 निम्नलिखित निर्दिष्ट करती है।

5.4.1 आई.एच.एच.एल. तथा ओ.डी. के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति नही होना

मार्च 2017 को केवल उत्तराखण्ड को छोड़कर, कोई भी राज्य आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि अन्य चार राज्य मई 2017 तक आई.एच.एच.एल. के निर्माण का 45.92 से 99.71 प्रतिशत को पूरा कर

सके। आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति नही होने के परिणामस्वरूप, उत्तराखण्ड को छोड़कर कोई भी राज्य ओ.डी.एफ. की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में कहा कि सभी गाँवो को निश्चित तिथि तक ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया। एन.एम.सी.जी. के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि मई 2017 में निर्धारित लक्ष्य को 2,49,749 आई.एच.एच.एल तक कम कर दिया गया जिसका कोई साक्ष्य प्रदान नही किया गया।

5.4.2 ओ.डी.एफ. की गलत घोषणा

उत्तर प्रदेश में, 31 मार्च 2017 को 19 जी.पी.[49] के ओ.डी.एफ. घोषित 10 जिलो[50] को उनकी ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच के लिए चयनित किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह उजागर हुआ कि उन्हें ओ.डी.एफ. बनाने के लिए कुल 6,824 आई.एच.एच.एल. अपेक्षित थे। हालाँकि इन जी.पी. में से 31 मार्च 2017 तक केवल 5,437 आई.एच.एच.एल ही निर्मित हुए।

इन 19 जी.पी., मार्च 2017 तक आई.एच.एच.एल. के अपेक्षित निर्माण में असफल रहे जबकि ओ.डी.एफ. घोषित किए गए थे।

एन.एम.सी.जी. ने इसके प्रत्युत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन को संज्ञान में लिया तथा सुनिश्चित किया कि मामले को एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष रखा जाएगा।

5.4.3 ओ.डी.एफ. ग्राम गाँवो का सत्यापन

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतो को ओ.डी.एफ. स्थिति प्राप्त करने के बाद इसे ग्राम सभा बैठक मे घोषित, करना था। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प सम्पूर्ण ग्राम पंचायत या यहाँ तक कि एक गाँव/वास स्थान के लिए भी हो सकता है। राज्य सरकारों को स्वंय की टीम या तृतीय पक्ष के जरिए ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच करनी थी। चूँकि ओ.डी.एफ. एक वन-टाइम प्रक्रिया नहीं है, कम से कम दो बार जाँच का पालन किया जाना था। ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच के लिए प्रथम जाँच इसकी घोषणा के तीन महीने के अंदर की जानी थी तथा दूसरी जाँच प्रथम जाँच के छः महीने के बाद की जानी थी। एक ग्राम पंचायत को, उपरोक्त जाँच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद; ही ओ.डी.एफ. घोषित किया जाना था। घोषित ओ.डी.एफ. की स्थिति तथा सत्यापित जी.पी. तालिका 5.5 में दिए गए है।

---

[49] डेरवा, चकनिरंजन, बद्रीपुर, काकरा, डोमरी, साराई डोमरी, श्री गोवरधन, अमोली, निजामुद्दीनपुर, शिवपुर, मोदिनीपुर, मोह पोच्चा, किराचन, निमबई गर इहामली, साधोपुर, खालिसपुर, तिवारीपुर, चन्द्रपुर, गोपुरा तथा उक्कारीफरोली।

[50] भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बिजनौर, कानपुर, फरूखाबाद, उन्नौ, गाजीपुर तथा कासगंज।

तालिका 5.5: 31मार्च 2017 को घोषित तथा सत्यापित गाँवों की स्थिति

राज्य	ओ.डी.एफ. घोषित गाँवो की संख्या	जाँच किए गाँवो की ओ.डी.एफ. स्थिति
बिहार	228	जाँच नहीं की गई
झारखण्ड़	47	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
उत्तराखण्ड़	265	204
उत्तर प्रदेश	1,022	108
पश्चिमी बंगाल	2,094	2,094
कुल	**3,656**	**2,406**

मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में ओ.डी.एफ.. घोषित 1,287 गाँवो में से, केवल 312 गाँवो की स्थिति की जाँच की गई, आगे, मार्च 2017 को, बिहार मे घोषित ओ.डी.एफ. गाँवो में से किसी भी गाँव की ओ.डी.एफ. स्थिति की जाँच नहीं की जा सकी। यह ओ.डी.एफ. गाँवो की जाँच की धीमी गति को दर्शाता है तथा ओ.डी.एफ. घोषित गाँवो की प्रामणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके प्रत्युत्तर (अगस्त 2017) में, एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को संज्ञान मे लिया तथा यह सुनिश्चित किया की मामला एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के समक्ष रखा जाएगा।

5.4.4 झारखण्ड मे आई.आई.एच.एल. के निर्माण/आबंटन मे अनियमितताएँ

झारखण्ड में, ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समितियाँ (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) चरणावद्ध तरीके से चिन्हित गाँवो में निर्माण गतिविधियों का पालन कर रही थी, जिसके लिए जिला जल तथा स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के द्वारा ₹ 12,000 प्रति आई.एच.एच.एल. की दर से निधि सभी वी.डब्ल्यू.एस.सी. को अग्रिम के तौर पर इस निदेश के साथ जारी की जा रही थी कि संयुक्त परिवार में केवल एक आई.एच.एच.एल. का निर्माण किया जाना चाहिए, वह भी परिवार के मुखिया के नाम पर। हमने पाया कि-

- एक गरीबी रेखा के नीचे क्रमांक के समक्ष, एक से अधिक आवंटन किए गए, जैसा कि 69 बी.एफ.एल. क्रमांक के समक्ष 147 आई.एच.एच.एल. आवंटित किए गए। 78 आई.एच.एच.एल. के निर्माण पर खर्च किए गए ₹ 9.36 लाख, डी.डब्ल्यू.एस.एम. के निर्देशों का उल्ल्घन था, जिससे अंत मे अयोग्य लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. की अनियमित संस्वीकृति दी गई।

- 10 जाँचित गाँवो[51], के 34 लाभार्थियों के नाम के समक्ष वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा निर्मित 71 आई.एच.एच.एल. दर्शाए गए। इस प्रकार, 37 आई.एच.एच.एल के निर्माण पर 12,000 प्राप्ति आई.एच.एच.एल. की दर से ₹ 4.44 लाख के दुर्विनियोग को नकारा नहीं जा सकता।

- दो[52] जाँचित गाँवो में, वी.डब्ल्यू.एस.सी. के द्वारा आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु चिन्हित किए गए 2,076 घरों के समक्ष 2,575 का निर्माण किया गया। इस प्रकार, अतिरिक्त 499 आई.एच.एच.एल का निर्माण संदेहस्पद है जिसके लिए ₹ 59.88 लाख का वी.डब्ल्यू.एस.सी. को भुगतान किया गया। आगे, इन गाँवो में, 7,657 लाभार्थियों में से 851 को वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा बिना किसी सत्यापित पहचान पत्र जैसे - मतदाता कार्ड, आधार कार्ड संख्या, बी.पी.एल. संख्या इत्यादि के चयनित किया गया। वैध पहचान पत्र के बिना, इन 851 लाभार्थियों[53] के लिए आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु वी.डब्ल्यू.एस.सी. को ₹ 102.12 लाख के भुगतान की यथार्थता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

- 1,755 बी.पी.एल. परिवारों को मुखिया तथा जल सहिया द्वारा लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया। जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. सूची की जाँच से यह उजागर हुआ कि वी.डब्ल्यू.एस.सी. को आई.एच.एच.एल निर्माण की सूची में शामिल 95 लाभार्थियों के नाम जिला प्राधिकरण की बी.पी.एल. सूची में उसी बी.पी.एल. संख्या के लिए दिए गए नाम के साथ मेल नहीं खाते। आगे, वी.डब्ल्यू.एस.सी. की आई.एच.एच.एल. के निर्माण की सूची में दिए गए 585 बी.पी.एल. क्रमांक, बी.पी.एल. सूची मे मौजूद नहीं है।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में तथ्यों को संज्ञान में लिया तथा बताया कि मामलों से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया था। हालाँकि, निधि के दुर्विनियोग पर, एन.एम.सी.जी. ने बताया किया कि यह आई.एच.एच.एल. के आवंटन से संबंधित नहीं था।

एन.एम.सी.जी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा वास्तव में निर्मित किए गए आई.एच.एच.एल. तथा लाभार्थियों की उपलब्ध संख्या में अंतर था।

---

[51] पश्चिमी प्राणपुर, अमानत दियाश, उत्तरी पालसगाची, मोकिमपुर, कसवा, बड़ा मदनसाही, फतेहपुर, छोटी कोदरजन्ना, बड़ी कोदरजन्ना, तथा मकमालपुर भाग

[52] पश्चिमी प्राणपुर, अमानत दियारा

[53] ₹ 12,000 प्रति आई.एच.एच.एल. की दर से

5.5 संयुक्त स्थल दौरों में आई.एच.एच.एल. की कार्य पद्दति तथा निर्माण में अनियमितताएँ

हमने ग्रामपंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंयायतों में संयुक्त स्थल दौरे का पालन किया। उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इन दौरों से उजागर हुआ कि ओ.डी.एफ. घोषित गाँवो में आई.एच.एच.एल. के निर्माण के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, बेकार जल की कोई उचित स्वच्छता उपलब्ध नहीं थी, लाभार्थी परिवारों द्वारा आई.एच.एच.एल. का प्रयोग न करना, कोई प्रशिक्षण/प्रचार न करना इत्यादि। लेखापरीक्षा जाँच परिणामों का विवरण निम्नलिखत है:-

5.5.1 उत्तराखण्ड :- संयुक्त स्थल दौरों (अप्रैल-जून 2017) ने उजागर किया कि ओ.डी.एफ. मुक्त घोषित 16 गाँवो[54] में सात जिलों[55] के 1,188 लाभार्थियों में से 44 लाभार्थियों का नाम पाँच जिलों की लाभार्थी सूची में दोहराया गया[56]। आगे, इन 44 लाभार्थियों[57], में से दो राज्यों[58] के 12 लाभार्थियों को ₹ 1.40 लाख की राशि का दोहरा भुगतान किया गया। 41 लाभार्थियों ने अब तक भी आई.एच.एच.एल. का निर्माण शुरू नहीं किया था, जबकि 34 आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा होना अभी भी बाकी था। अत: आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों की संख्या केवल 1,068[59] थी।

5.5.2 उत्तर प्रदेश:- उत्तर प्रदेश के 11 जाँचित जिलों[60] में 22 जी.पी.[61] में आई.एच.एच.एल. के संयुक्त स्थल दौरों (मई-जून 2017) ने उजागर किया कि-

(क) इन ग्रामपंचायतों में कुल 11,993 घरो में से 9,288 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना था। हालाँकि, केवल 8,152 (88 प्रतिशत) आई.एच.एच.एल. निर्मित किए गए। इस प्रकार 12 प्रतिशत घरों मे अभी भी आई.एच.एच.एल. नहीं था।

---

[54] बालेश्वर, श्रीकोट, चाका, केवर मल्ला, केवर तल्ला, रतनी, माला, पालेगाँव, बागी, किनसूर, पोकता, तैड़ी, झाला, बागोडी, बादशाहपुर तथा बीरपुरखुर्द।

[55] तेहरी, रूद्रप्रयाग, चामोली, पोरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून

[56] 43 लाभार्थियों के नाम दो बार तथा एक का तीन बार

[57] पौड़ी गढ़वाल, नई तहरी, हरिद्वार, चमोली तथा उत्तरकाशी

[58] उत्तर काशी तथा चमोली

[59] 1,188-[45+41+34]

[60] फरूखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, कासगंज, गाजीपुर, उन्नउ तथा मीरूत

[61] दतयाना, खलीलुल्लाहपुर, कठिनाई, शिल्पि, रामचंदीपुर, चंद्रावती, तिवारीपुर, मैनपुर, नगलागुसी, मकदूमपुर, इंदजाशानपुर,, शाहवाजपुर पुख्त, जमशेदपुर उर्फ लालापुर, दुबवाल, बद्रीपुर, चकनिरंजन

(ख) नमामि गंगे के अंर्तगत निर्मित 8,152 आई.एच.एच.एल. मे से, केवल 7,041 (86 प्रतिशत) ही वास्तव मे कार्यरत थे।

5.5.3 बिहार:- बिहार के पाँच जिलों[62] के 10 गाँवो[63] में आई.एच.एच.एल. के संयुक्त स्थल दौरे (मई-जून 2017) के जाँच-परिणामों ने खुलासा किया कि-

(क) 381 आई.एच.एच.एल. जो लाभार्थियों हेतु निर्मित किए गए थे, में से केवल 208 आई.एच.एच.एल. (55 प्रतिशत) ही वास्तव में निर्मित किए गए थे। इनमें से 64 आई.एच.एच.एल. (31 प्रतिशत) परिवार के सभी सदस्यों द्वारा प्रयोग नहीं किए जा रहे थे।

(ख) प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थियों को केवल आई.एच.एच.एल. का निर्माण पूरा होने के बाद तथा 'वार्ड सभा' द्वारा ओ.डी.एफ. गाँव घोषित करने के बाद ही किया जाना था। हमने संयुक्त स्थल दौरे के दौरान अवलोकन किया कि तीन गाँवों[64] में 35 आई.एच.एच.एल. का निर्माणाधीन था, परन्तु 35 लाभार्थियों को ₹ 12,000 प्रत्येक की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया था।

(ग) संयुक्त स्थल दौरे के दौरान, ओ.डी.एफ. घोषित गाँव बनवारी चक में कोई भी निर्मित आई.एच.एच.एल. नहीं मिला; जबकि दो ओ.डी.एफ. घोषित गाँवो खवसपुर खुर्द तथा मालकपुर मे क्रमश: 20 तथा 33 प्रतिशत आई.एच.एच.एल. का निर्माण पाया गया।

(घ) 381 जाँच परीक्षित लाभार्थियों में से, छह गाँवों[65] के 241 लाभार्थियों (63 प्रतिशत) को शौचालय के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

---

[62] पटना, मुन्गर, भगलपुर, सरन तथा बक्सर

[63] नकटा दियारा, सबलपुर, मिर्जापुर वरदा, शंकरपुर, मालकपुर, हेतानपुर, पानापुर, बनवारी चौक, खवसपुर खुर्द तथा अर्जुनपुर।

[64] शंकरपुर-नौ आई.एच.एच.एल., नालकपुर-18 आई.एच.एच.एल. तथा नकटा दियारा आठ आई.एच.एच.एल.

[65] सबलपुर, शंकरपुर, हेतनपुर, पानपुर, बनवारी चाक तथा खावसपुर खुर्द

Plate 5.1: Non-functional toilet
GP-Datayana, KP- Jalilpur, Bijnor, Uttar Pradesh

Plate 5.2: Non-functional toilet
GP-Kirachan, Block Rajepur, Farrukhabad, Uttar Pradesh

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन किया तथा कथित किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया।

5.6 ठोस तरल कचरा प्रबंधन

एस.बी.एम.(जी.) का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता तथा सामान्य जीवन गुणवत्ता में बेहतरी लाना है। ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम का मुख्य घटक है।

हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों के चिन्हित जिलों में एस.एल.डब्ल्यू.एम. गतिविधियों को नहीं किया गया। हालांकि, मार्च 2017 को, उत्तराखण्ड 132 जी.पी. में से केवल दो में ही एस.एल.डब्ल्यू.एम. से संबंधित कार्य को पूरा कर सका तथा 11 जी.पी. में एस.एल.डब्ल्यू.एम. कार्य प्रगति पर था।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) में लेखापरीक्षा अवलोकन किया तथा बताया किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत कराया गया।

5.7 रिपोर्टिंग तथा निगरानी/जाँच विसंगतियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों अनुसार, निगरानी परिणाम को, ओ.डी.एफ. समुदायों के निर्माण में परिकल्पित शौचालय प्रयोग के अनुसार आंकना मुख्य केन्द्र-बिन्दु होगा। परिणाम की निगरानी, प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु खर्च तथा सृजित परिसंपतियों के अनुसार की जाऐगी।

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. ने एस.बी.एम.(जी.) हेतु एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया है। देश ने सभी जी.पी. के स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित घरेलू स्तरीय आँकडे राज्यों द्वारा एम.आई.एस. पर उपलब्ध कराए जाएँगें। राज्यों को मार्च-अप्रैल महीने में वर्ष

में एक बार आधारभूत सर्वेक्षण स्थिति को अध्यतन करने की अनुमति होगी। सभी एस.बी.एम.(जी.) परियोजना जिलों को इस ऑनलाइन एम.आई.एस के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबन्धित उनकी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। जी.पी. वार प्रत्येक माह हेतु भौतिक तथा वित्तीय प्रगति एस.बी.एम.(जी.) एम.आई.एस. में दर्ज की जानी है।

रिपोर्टिंग तथा निगरानी तंत्र में पाई गई असंगतियों की चर्चा नीचे दी गई है:-

5.7.1 अपर्याप्त आधारभूत सर्वेक्षण

एस.बी.एम दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार, सभी राज्यों को 30 जनवरी 2015 तक एम.आई.एस पर आधारभूत आँकड़े की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी थी। राज्यों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पर किसी भी परिवार की प्रविष्टि न करने पर वे एस.बी.एम.(जी.) के अंतर्गत निधि के हकदार नहीं होगें। राज्यों को, आगामी वर्ष के दौरान जी.पी. में होने वाले बदलाव पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आधारभूत सर्वेक्षण आँकडे (बी.एल.एस) अध्यतन किए जाने है। यह जी.पी. के पुन: सर्वेक्षण की परिकल्पना नहीं करता है, परन्तु केवल वृद्धिशील परिर्वतन जो आगामी वर्षो मे जी.पी. में हो सकते है।

उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. बनाने के उद्देशय के साथ बिना शौचालय वाले घर जिन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी थी, की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। हमारी जाँच ने पाया कि उत्तर प्रदेश के जी.पी. में बिना शौचालय वाले घरों की संख्या आधारभूत सर्वेक्षण में एम.आई.एस. में अल्प अंतराल[66] पर तेजी से संशोधित की जा रही थी, जो दिशानिर्देशों के प्रावधान का उल्लंघन था।

आगे संवीक्षा ने उजागर किया कि बी.एल.एस. रिपोर्ट के अनुसार (19 मई 2017) उत्तर प्रदेश के 11 जाँच परीक्षित जिलों[67] में से 10[68] को 23 जी.पी.[69] में 6,983 शौचालय अपेक्षित थे, हालाँकि इन 23 जी.पी. ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कुल 9,287 शौचालय निर्मित किए गए/निर्मित किए जा रहे थे। इस प्रकार, 2,302 शौचालय निर्मित/निर्माणाधीन थे, जो बी.एल.एस. रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक शौचालयों से अधिक

---

[66] 27 मार्च 2017 से मई 2017 तक तीन विभिन्न आँकडे परिक्षित हुए। मार्च 2017:4,79,449, अप्रैल 2017:4,57202,मई 2017-4,42672

[67] फरूखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोनी, कासगंज, गाजीपुर, उन्नउ तथा मीरूत।

[68] फरुखाबाद, कानपुर, बिजनौर, निर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोनी, कासगंज, गाजीपुर, तथा मीरूत।

[69] सुन्दरपुर, माहिगवा, हसौली काजीगंज, दुर्गापुर, सुनहउरा, बेहता, बिपउसी, खलीउल्लापुर, दारानगर, शाहपुर भलवा/निजामुद्दीनपुर, सुजाबाद, जमशेदपुर उर्फ लालापुर, जेरा, कल्कि मावाइया, ओसापुर, पुरावा, केदारपुर, बेरासपुर, चकनिरंजन, शाहवाजपुरफुटका, देवच्द्रपुर, मानपुर तथा जलालपुरजीरा।

थे। यह दर्शाता है कि बी.एल.एस रिपोर्ट ने बिना शौचालय वाले घरों का आंकलन वास्तविक नहीं था।

एन.एम.सी.जी. ने इस तथ्य को स्वीकार करते हे कथित (अगस्त 2017) किया कि इसका आधारभूत सर्वेक्षण के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। एन.एम.सी.जी. ने आगे बताया कि यह

एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा विभिन्न गतिविधियों अर्थात आई.एच.एच.एल. के निर्माण, एस.एल.डब्ल्यू.एम.,आई.ई.एस. तथा प्रशासनिक खर्चे हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के लिए बजटीय आंकलन अनुमोदित कर चुका था।

5.7.2 ग्राम पंचायतो के मूल अभिलेखों तथा एम.आई.एस. आँकडो के बीच विसंगतियाँ

उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के 12 जाँच परीक्षित जिलों[70] के अभिलेखों की जाँच ने जी.पी. द्वारा अनुरक्षण किए जा रहे मूल अभिलेखों तथा एम.आई.एस. के अंर्तगत सूचित आँकडो में विसंगतियों का खुलासा किया जैसा कि तालिका 5.6 में चर्चा की गई है।

तालिका 5.6 जी.पी. के मूल अभिलेखों तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू. के एम.आई.एस. आँकडो में विसंगतियों का विवरण

राज्य	विसंगतियाँ
उत्तर प्रदेश	• उत्तर प्रदेश के तीन[71] जिलों की छह[72] ग्राम पंचायतों में जी.पी. द्वारा प्रदत्त सूची तथा ऑनलाइन एम.आई.एस सूची में लाभार्थियों की सँख्या में अंतर नोटिस किया गया • उत्तर प्रदेश के जाँच-परीक्षित जिलों के 63 जी.पी. में, 211 लाभार्थी एम.आई.एस. सूची मे दो बार आ रहे थे। यह दर्शाता है कि ऑनलाइन एम.आई.एस डाटा विश्वसनीय नहीं था।
झारखण्ड	• झारखण्ड के छह नमुना गाँवों[73] के एम.आई.एस. डेटा में, सेम लाभार्थियों को 282 आई.एच.एच.एल. के बहु आंवटन का सुझाव देते हुए 258 लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. आंवटित किए गए। हालाँकि सूची में, प्रत्येक लाभार्थी को केवल एक आई.एच.एच.एल. प्रदान किया गया था। • झारखण्ड के सात[74] जाँच परीक्षित गाँवों के 70 लाभार्थियों मे से 49 का नाम निर्मित आई.एच.एच.एल. की लाभार्थी सूची मे शामिल किया गया था • 5,340 आई.एच.एच.एल. निर्मित किए गए थे, फिर भी एम.आई.एस. में 3,153 आई.एच.एच.एल. को निर्मित के तौर पर सूचित किया गया • 70 लाभार्थियों में से 49 का नाम निर्मित आई.एच.एच.एल. की लाभार्थी सूची मे शामिल किया गया

[70] उत्तर प्रदेश (फरूखाबाद, कानपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, कासगंज, गाजीपुर, उन्नउ तथा मीरूत) तथा झारखण्ड (साहबगंज)

[71] गाजीपुर, मीरूत तथा कासगंज

[72] तिवारीपुर, खालिसपुर, दयोरिया, साधोपुर, मानपुर, महमूदपुर फुटका

[73] बडा मदानसी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसवा, फतेहपुर तथा मखमालपुर भाग

[74] बडा मदानसी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसना, फतेहपुर तथा बड़ा मदासनी, उत्तर पालसगाची, पश्चिमी प्राणपुर, कसवा, फतेहपुर, छोटी को दरजन्ना तथा मखमलपुर भाग

उपरोक्त अवलोकन निर्दिष्ट करते है कि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. द्वारा इसके ऑनलाइन एम.आई.एस. के जरिए सूचित किए गए लक्ष्य तथा उपल्बिधयाँ विश्वसनीय नहीं है।

एन.एम.सी.जी. ने इसके उत्तर (अगस्त 2017) मे लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया तथा कथित किया कि मामले से एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. को अवगत करा दिया गया था।

5.8 निष्कर्ष

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी गंगा नदी बेसिन गाँवों को ओ.डी.एफ. बनाना था, जिसे बार-बार समयसीमा बढ़ाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा उपल्ब्ध निधि को खर्च करने में लापरवाही की गई, क्योंकि ओ.डी.एफ. ग्रामों तथा आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अधिक आई.एच.एच.एल. का निर्माण तथा उन्ही/ समान लाभार्थियों को आई.एच.एच.एल. को बहु आवंटन के मामले भी पाए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल में ठोस तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य शुरू ही नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों के अभिलेखों तथा एम.आई.एस. के अंर्तगत सूचित लक्ष्यों/उपलब्धियों के डेटा में विसंगतियाँ थी।

5.9 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते है कि

(i) एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

(ii) एन.एम.सी.जी., एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस. के साथ परामर्श करके, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक वास्तविक योजना, आँकडा प्रमाणिकता तथा कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कर सकता है।

(iii) एन.एम.सी.जी. तथा एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस., सभी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत मासिक भौतिक/वित्तीय रिपोर्ट की क्रास-चेकिंग द्वारा एम.आई.एस. के अंर्तगत सूचित आँकडों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते है।